अध्याय 5

वायुयान (निर्माणों और वृक्षों आदि द्वारा कारित बाधाओं का उन्मूलन) नियम, 1994

20 अगस्त 1999 के सा.का.नि. 302 और 9 अप्रैल, 2002 के सा.का.नि. 267 (अ) की अधिसूचनाओं द्वारा यथा संशोधित वायुयान (निर्माणों और वृक्षों आदि कारित बाधाओं का उन्मूलन) नियम, 1994 को निम्न रूप में पुन: रखा जाता है।

अध्याय 5

वायुयान (निर्माणों और वृक्षों आदि द्वारा कारित बाधाओं का उन्मूलन) नियम, 1994

विषय - सूची

नियम		**पृष्ठ**
1.	संक्षिप्त नाम और विस्तार	216
2.	परिभाषाएं और निर्वचन	216
3.	अधिसूचना का तामील किया जाना	217
4.	स्वामी द्वारा ब्यौरे का दिया जाना	217
5.	ब्यौरों को अग्रेषित करना और उनकी अस्तित्व जांच	217
6.	अंतिम आदेश	217
6क.	अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील	218
7.	स्वामी द्वारा आदेश का अनुपालन किया जाना	218
8.	अनुपालन के बारे में जिला कलेक्टर को रिपोर्ट	218

अध्याय 5

वायुयान (निर्माणों और वृक्षों आदि द्वारा कारित बाधाओं का उन्मूलन) नियम, 1994

भारत सरकार

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

अधिसूचना

वायुयान (निर्माणों और वृक्षों आदि द्वारा कारित बाधाओं का उन्मूलन) नियम, 1993 का प्रारूप, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 14 अगस्त, 1993 में पृष्ठ 1264-1265 पर भारत सरकार के नागर विमान और पर्यटन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 406, तारीख 29 जुलाई, 1993 के साथ प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना भारत के राजपत्र में 14 अगस्त 1993 को प्रकाशित हुई थी:

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 11 ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम विमान क्षेत्रों के आसपास निर्माणों के तोड़े जाने और वृक्षों के काटे जाने का उपबंध करते हुए बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार -** (1) इन नियमों को संक्षिप्त नाम वायुयान (निर्माणों और वृक्षों आदि द्वारा कारित बाधाओं का उन्मूलन) नियम, 1994 है।

(2) इनका सविस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन - इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में किसी बात के विरूद्ध नहीं है -

(1) "अधिनियम" से वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) अभिप्रेत होगा।

(2) "वायुयान" और "विमानक्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो वायुयान अधिनियम, 1934 में है।

(3) "निर्माण" के अंतर्गत किसी विमानक्षेत्र के आस-पास विनिर्दिष्ट क्षेत्र के आस-पास विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर परिनिर्मित कोई संरचना, चाहे स्थाई हो या अस्थायी हो, होगी।

(4) "जिला कलेक्टर" के अंतर्गत उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य पदनाम, जिसका प्रयोग राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन के भारसाधक अधिकारी के लिए किया जाता है, होगा।

(5) "स्वामी" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति होगा, जिसका, यथास्थिति, निर्माण या वृक्ष पर नियंत्रण हो।

(6) "विमान क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी" से विमानपत्तन का भारसाधन धारण करने वाला अधिकारी, चाहे वह किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत होगा।

3. अधिसूचना का तामील किया जाना - जहां कोई अधिसूचना अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई है और संबद्ध विमानक्षेत्र के भारसाधक अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई निर्माण या वृक्ष पूर्वोक्त अधिसूचना के उपबंधों का अतिक्रमण करते हुए विद्यमान है, वहां वह यथास्थिति, निर्माण या वृक्ष के स्वामी को अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अधिसूचना की प्रति तामील करेगा।

4. स्वामी द्वारा ब्यौरे का दिया जाना - (1) नियम 3 के अधीन अधिसूचना की प्रति की तामील के साथ नागर विमानन के महानिदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत नागर विमानन विभाग के किसी अन्य अधिकारी का एक ऐसा आदेश होगा जिसमें स्वामी का विमानक्षेत्र के भारसाधक अधिकारी को, यथास्थिति निर्माण या वृक्ष का अवस्थान दर्शित करते हुए रेखांक और उसकी विमान या आदेश में विनिर्दिष्ट कोई अन्य ब्यौरे भी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने के लिए निदेश होगा।

(2) स्वामी उपनियम (1) के अधीन किए गए आदेश में मांगे गए ब्यौरे देने के लिए आबद्ध होगा।

5. ब्यौरों को अग्रेषित करना और उनकी अस्तित्व जांच - (1) यथास्थिति, निर्माण या वृक्ष के स्वामी द्वारा दिए गए ब्यौरों को विमानन क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणियों सहित नागर विमानन महानिदेशक को अग्रेषित किया जाएगा।

(2) विमान क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी, नागर विमानन के महानिदेशक को ब्यौरे अग्रेषित करने से पहले ब्यौरों की शुद्धता के बारे में स्वयं का समाधान करेगा और उस प्रयोजन के लिए वह दिन के समय और स्वामी को उचित पूर्व सूचना देकर प्रश्नगत परिसर में प्रवेश करने और यथास्थिति, निर्माण या वृक्ष की सीमाओं की अस्तित्व जांच करने के लिए सशक्त होगा। स्वामी ऐसी अस्तित्व जांच के दौरान पूर्ण सहयोग करने के लिए कर्तव्य द्वारा आबद्ध होगा।

परंतु किसी ऐसे मामले में, जिसमें स्वामी सहयोग करने में असफल हो जाता है, विमानक्षेत्र का भारसाधक अधिकारी नागर विमानन के महानिदेशक को जहां तक जांच संभव हुई है उस पर आधारित अपनी टिप्पणियां सहित ब्यौरे अग्रेषित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. अंतिम आदेश - यदि एक संयुक्त महानिदेशक नागर विमानन का, विमानक्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसको अग्रेषित ब्यौरों की जांच करने पर और स्वामी को इस बारे में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत निर्माण या वृक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना के उपबंधों का अतिक्रमण करता है, तो वह इस विषय में स्वामी को यह निदेश देते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा कि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण को तोड़ डाले या वृक्ष को काट डाले या निर्माण या वृक्ष की ऊंचाई को कम कर दे, जैसा अधिसूचना में उपबंधों का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित हो। यथास्थिति निर्माण या वृक्षों की ऊंचाई में कमी करने के मामले में, अनुज्ञेय ऊंचाई भी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी:

परन्तु किसी ऐसे मामले में, जिसमें स्वामी नियम 4 के अधीन आदेश के उत्तर में ब्यौरे देने में असफल हो गया है, एक संयुक्त महानिदेशक नागर विमानन या एक उपमहानिदेशक नागर

विमानन अंतिम आदेश पारित करने के लिए सशक्त होगा जो विमानक्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसको उपलब्ध कराई गई जानकारी या किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत पर आधारित होगा।

(2) इस अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपनियम (1) के अंतर्गत पारित अंतिम आदेश हवाई अड्डे के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से स्वामी को दिया जाएगा।

6 क. अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील - यदि कोई व्यक्ति नियम 6 के अंतर्गत पारित अंतिम आदेश से व्यथित है तो वह आदेश की तारीख से 60 दिनों के अन्दर महानिदेशक, नागर विमानन के पास अपील कर सकता है और महानिदेशक, सुने जाने के इच्छुक संबद्ध पक्षों को सुनने के पश्चात्, अंतिम आदेश की पुष्टि या आशोधन या अस्वीकार कर सकता है।

7. स्वामी द्वारा आदेश का अनुपालन किया जाना - (1) स्वामी नियम 6 के तहत अथवा नियम 6क के तहत संपुष्ट या संशोधित, जैसा भी मामला हो के तहत ऐसे आदेश की से साठ दिनों की अवधि के भीतर पारित अंतिम आदेश में निहित निर्देशों का पालन करेगा।

(2) स्वामी इस अधिनियम की धारा 9ख में निहित प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है।

8. जिला कलेक्टर को रिपोर्ट की जाने वाली अनअनुपालन रिपोर्ट- (1) यदि स्वामी नियम 6 के तहत अथवा नियम 6क के तहत संपुष्ट अथवा संशोधित, जैसा भी मामला हो, पारित आदेश में निहित निर्देशों को ऐसे आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर पालन करने में असफल रहता है तो उस हवाई क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी इस मामले के संक्षिप्त तथ्यों तथा नियम 6 के तहत अथवा नियम 6क के तहत संपुष्ट या संशोधित, जैसा भी मामला हो, के तहत पारित अंतिम आदेश की प्रति देते हुए इसे जिला कलेक्टर को रिपोर्ट करेगा।

(2) जिला कलक्टर, विमान क्षेत्र के भार साधक अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने पर, यथास्थिति निर्माण को तोड़ डालने या वृक्ष को काट डालने या निर्माण की ऊंचाई में कमी करने के लिए उसी रीति से और उसी प्रक्रिया द्वारा तुरन्त कार्यवाही करेगा जिसका उसके जिले में किसी अप्रधिकृत संनिर्माण के तोड़ डालने के मामले में अनुसरण किया जाता है।

[(i)*सा.का.नि.314(अ) दिनांक 25-5-2006; तथा*

(ii)सा.का.नि. 202(अ) दिनांक 20-9-2007 द्वारा संशोधित]